



महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर

Dr. Gopal Krishana Thakur

मुख्य छात्रावास अधीक्षक/ Chief Warden

दूरभाष / phone: +91-7152-230908

मोबाइल / Mobile : 91-8007845441

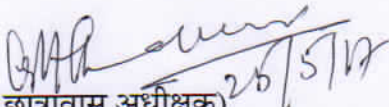
ईमेल / Email : gkthakur11@gmail.com

दिनांक: 25-05-2017

सूचना

छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि छात्रावास संबंधी नियमों के अंतर्गत मेस संबंधी निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

1. छात्रावास में मेस का संचालन रहवासी विद्यार्थियों द्वारा चयनित मेस समिति द्वारा किया जाएगा।
2. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को भोजन अपने कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। छात्र/छात्राएँ भोजन मेस के भोजन-कक्ष में ही करेंगे। मेस के बाहर खाना ले जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
3. समस्त छात्र/छात्राओं को मेस शुल्क निर्धारित तिथि तक मेस संचालन समिति को देना होगा।
4. रसोई घर में बिना अनुमति प्रवेश निषिद्ध है। केवल मेस कर्मचारियों तथा मेस समिति के सदस्य ही रसोई घर में प्रवेश कर सकते हैं।
5. भोजन संबंधी किसी भी समस्या पर मेस समिति और कर्मचारियों से विनम्रता से बात करना अपेक्षित है। मेस समिति या कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता अनुशासनहीनता मानी जाएगी एवं ऐसी स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।


(मुख्य छात्रावास अधीक्षक)

प्रतिलिपि

कुलपति कार्यालय

प्रति कुलपति कार्यालय

कुलसचिव कार्यालय

उप कुलानुशासक

समस्त छात्रावास अधीक्षक

डाकघर: हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र) भारत

Post Office : Hindi Vishwavidyalaya, Wardha- 442001 (Maharashtra) India.

जा.क्र. 4/15
दिनांक 25.5.17